डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अदालत सहायक कलक्टर सेडवा मुकाम सेडवा

व इजलास श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. चुन्नी पुत्री गुमनाराम पत्नी पप्पुराम जाति मेगवाल निवासी मदावा तहसील सेड़वा हाल निवास वाडाभावडी तहसील बागौड़ा जिला जालौर। 2. बली पुत्री गुमनाराम पत्नी खुमाराम जाति मेगवाल निवासी मदावा तहसील सेड़वा हाल निवासी राणासर खुर्द तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।		1. गुमनाराम पुत्र राजुराम फौत के कायम मुकाम वादीनीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 2. हरदानराम पुत्र गुमनाराम 3. जवाना पुत्र मनजी फौत के कायम मुकाम 3/1 बाबु पुत्र जवाना 3/2 मांगी पुत्री जवाना 4. मोटा पुत्र मनजी 5. अणदा पुत्र मनजी फौत के कायम मुकाम 5/1 गोगाराम पुत्र अणदा 5/2 कुम्भा पुत्र अणदा 5/3 हजारी पुत्र अणदा 5/4 पन्ना पुत्र अणदा 5/5 पप्पुदेवी पत्नी अणदा 6. लुम्भा पुत्र मनजी लाऔलाद फौत 7. भैरा पुत्र मनजी 8. पुरा पुत्र लाला 9. घेवर पुत्र लाला 10. पेम्पोदेवी पत्नी लाला 11. पांचा पुत्र वगता जातियान मेगवाल निवासीगण मदावा तहसील सेड़वा 12. इन्दुबाला पत्नी ताराचन्द 13. प्रमिलादेवी पत्नी दिलिप कुमार जातियान मेगवाल निवासीगण भलगांव तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 14. शाखा प्रबंधक बी.सी.सी.बी. शाखा सेड़वा 15. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. शाखा सेड़वा 16. तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर।

सहायक कलक्टर सेड़वा

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

(1)

राजस्व वाद संख्या 72/2018
उनवान चुन्नी वगैरा बनाम गुमनाराम वगैरा

वाद बाबत धारा <u>88, 91, 207, 188 RT Act.</u>

मुकदमा नं. 72/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रूबरू **न्यायालय** बहाजरी **श्री नरेश भादु वादीगण** अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 05 के अधिवक्ता श्री शाकर खान समेजा मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर <u>मौजा मदावा, पटवार क्षेत्र पनोरिया, भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया के जमाबंदी संवत् 2073–76 के खाता संख्या नया 10 के खसरा संख्या 85 रकबा 146–04 बीघा किस्म बारानी सोयम में गुमना वल्द राजु द्वारा अपने 1/8 हिस्से से अधिक भूमि का अशोक कुमार पुत्र उम्मेदाराम को किया गया बेचान विधिसंगत नहीं होने से गुमना वल्द राजु द्वारा अपने 1/8 हिस्से से अधिक बेचान किए गए रकबे में वादीनी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा व वादीनी संख्या 02 का 1/3 हिस्सा, गुमना वल्द राजु द्वारा हरदानराम पुत्र गुमनाराम को किया गया दानपत्र विधिसंगत नहीं होने से दान किए गए कुल रकबे में वादीनी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा व वादीनी संख्या 02 का 1/3 हिस्सा अर्थात् खसरा संख्या 85 रकबा 146–04 बीघा किस्म बारानी सोयम में वादीनी संख्या 01 का 1/8 हिस्सा व वादीनी संख्या 02 का 1/8 हिस्सा सहखातेदार के साथ तथा मौजा मदावा, पटवार क्षेत्र पनोरिया, भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया के जमाबंदी संवत् 2073–76 के खाता संख्या नया 37 के खसरा संख्या 42 रकबा 45–00 बीघा किस्म बारानी सोयम में गुमनाराम पुत्र राजु के 1/2 हिस्से में से 1/4 हिस्सा वादीनी संख्या 01 का तथा 1/4 हिस्सा वादीनी संख्या 02 का अर्थात् खसरा संख्या 42 रकबा 45–00 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि के कुल रकबे में 1/8 हिस्सा वादीनी संख्या 01 का तथा 1/8 हिस्सा वादीनी संख्या 02 का सहखातेदार के साथ खातेदारी में घोषित किया जाता है।</u> तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

बसग्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 08/05/2026 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर सेड़वा

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा
(आर.ए.एस.)
कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

(2)

राजस्व वाद संख्या 72/2018
उनवान चुन्नी वगैरा बनाम गुमनाराम वगैरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1 वाद के लिए स्टाम्प		शाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यह		आदेशिका की तामिल	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

(3)

सहायक कलक्टर सेड़वा

न्यायालय

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी– बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं. 72/2018

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. चुन्नी पुत्री गुमनाराम पत्नी पप्पुराम जाति मेगवाल निवासी मदावा तहसील सेड़वा हाल निवास वाडाभावडी तहसील बागौड़ा जिला जालौर। 2. बली पुत्री गुमनाराम पत्नी खुमाराम जाति मेगवाल निवासी मदावा तहसील सेड़वा हाल निवासी राणासर खुर्द तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।		1. गुमनाराम पुत्र राजुराम फौत के कायम मुकाम वादीनीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 2. हरदानराम पुत्र गुमनाराम 3. जवाना पुत्र मनजी फौत के कायम मुकाम 3/1 बाबु पुत्र जवाना 3/2 मांगी पुत्री जवाना 4. मोटा पुत्र मनजी 5. अणदा पुत्र मनजी फौत के कायम मुकाम 5/1 गोगाराम पुत्र अणदा 5/2 कुम्भा पुत्र अणदा 5/3 हजारी पुत्र अणदा 5/4 पन्ना पुत्र अणदा 5/5 पप्पुदेवी पत्नी अणदा 6. लुम्भा पुत्र मनजी लाऔलाद फौत 7. भैरा पुत्र मनजी 8. पुरा पुत्र लाला 9. घेवर पुत्र लाला 10. पेम्पोदेवी पत्नी लाला 11. पांचा पुत्र वगता जातियान मेगवाल निवासीगण मदावा तहसील सेड़वा 12. इन्दुबाला पत्नी ताराचन्द 13. प्रमिलादेवी पत्नी दिलिप कुमार जातियान मेगवाल निवासीगण भलगांव तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 14. शाखा प्रबंधक बी.सी.सी.बी. शाखा सेड़वा 15. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. शाखा सेड़वा 16. तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर।

उपस्थित अधिवक्तागण– वादीगण के वकील – श्री नरेश भादु
प्रतिवादी संख्या 05 के अधिवक्ता – श्री शाकर खान समेजा

सहायक कलक्टर सेड़वा

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

(1)

अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 207 RT Act.

निर्णय

दिनांक :– 08/05/2026

वादीगण चुन्नी पुत्री गुमनाराम पत्नी पप्पुराम जाति मेगवाल निवासी मदावा तहसील सेड़वा हाल निवास वाडाभावडी तहसील बागौड़ा जिला जालौर वगैरा की ओर से पेश वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 व 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि "वादीनीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 हिन्दू विधि से शासित है। पक्षकारान् का एक ही खानदान तथा संयुक्त हिन्दू परिवार है। पक्षकारा स्व. राजूराम के वंशज है, जिनका वंशवृक्ष निम्नानुसार है–

राजूराम

↓

गुमना(प्रतिवादी संख्या 01)

↓

हरदानराम	चुन्नी	बली
(प्रतिवादी संख्या 02)	(वादी संख्या 01)	(वादी संख्या 02)

वादीनीगण एव प्रतिवादी सख्या 01 से 11 के पैतृक खातेदारी एवं स्वामित्व, कब्जा काश्त का खेत खसरा नम्बर 85 रकबा 146.04 बीघा, खसरा नम्बर 42 रकबा 45 बीघा मौजा मदावा पटवार क्षेत्र पनोरिया तहसील सेडवा जिला बाड़मेर में स्थित है जिस भूमि में 1/2 हिस्सा वादीनीगण के दादा राजूराम के खातेदारी तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 से 11 के मुतवफी मनजी के खातेदारी के थे, परन्तु वादीनीगण के दादा राजूराम का देहान्त वक्त सेन्टलमेंट के समय ही हो गया था जिस कारण वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा का पर्चा लगान वादीनीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 01 गुमना के नाम से तथा 1/2 हिस्सा का पर्चा लगान प्रतिवादी संख्या 03 से 11 के मुतवफी मनजी के नाम जारी हुआ था तथा पर्चा लगान में 1/2–1/2 हिस्सा अंकित था। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 को वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति के रूप में अपने पिता राजूराम से प्राप्त हुई थी। जिससे वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा खातेदारी अधिकारो का है। वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीनीगण व प्रतिवादी संख्या 02 के अधिकार अपने पिता के बराबर उनके जन्म के साथ ही हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार पैदा हो चुके थे, जिससे वादीनीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का वादग्रस्त

सहायक कलक्टर सेड़वा

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

1/2 में 1/4–1/4 हिस्सा यानि सम्पूर्ण रकबे में 1/8–1/8 हिस्सा पैतृक खातेदारी का जमाबंदी की प्रति साथ पेश है। वादग्रस्त भूमि वादीनीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की की सम्पति है तथा प्रत्येक का बराबर हक हिस्सा है परन्तु राजस्व रेकर्ड में वादीनीगण का नाम त नहीं है तथा समस्त 1/2 हिस्सा की भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी, जिसका प्रतिवादी संख्या 01 ने नाजायज फायदा उठाते हुऐ बेशकीमती भूमि खसरा नम्बर 85 में अपने विधिक 1/8 हिस्से से अधिक वादीनीगण के हिस्से सहित 1/6 हिस्सा का बेचान अशोक कुमार पुत्र उम्मेदाराम मेघवाल को दिनांक 23.10.2012 को कर दिया तथा उसके बाद प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से दर्ज 1/3 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि जरिये दान पत्र के वर्ष 2013 में प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में दान कर दी है जिस संबंध में वादीनीगण से कोई सहमति नहीं ली गई है तथा न ही वादीनीगण को कोई जानकारी दी गई तथा तत्पश्चात अशोक कुमार पुत्र उम्मेदाराम ने अपना खरीदसुदा 1/6 हिस्सा सम्पूर्ण का बेचान प्रतिवादी संख्या 12 व 13 को दिनांक 22.06.2016 को कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 02 को दान पत्र के जरिये प्राप्त 1/3 हिस्से में से कुछ भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 12 व 13 को कर दिया है, जिस कारण वर्तमान में खसरा नम्बर 85 में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाकर उसके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 2 का 17/72 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12 का 7/72 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 13 का 12/72 हिस्सा दर्ज है, जो हिस्सा वादीनीगण प्रत्येक के 1/8–1/8 हिस्से तक शून्य एवं निष्प्रभावी है, क्योंकि वादग्रस्त भूमि पैतृक खातेदारी की भूमि है तथा पैतृक खातेदारी की भूमि में वादीनीगण का जन्म के साथ ही हक हिस्सा निहित हो गया था तथा वादीनी स्व. राजूराम की विधिक उतराधिकारी होने से वादग्रस्त भूमि में अपना हक हिस्सा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 व हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार जन्म के साथ ही निहित हो गये था तथा खसरा नम्बर 42 रकबा 45 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा दर्ज है। वादीनीगण को प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा खसरा नम्बर 85 में समस्त 1/2 हिस्से की भूमि वादीनीगण के हिस्से सहित बेचान करने की पूर्व में जानकारी नहीं थी तथा प्रतिवादी संख्या 02 ने कीमती भूमि अपने नाम दान करवाने के बाद राजस्व रेकर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवा दिया तथा कुछ भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 12 व 13 को कर दिया तथा वर्तमान वादीनीगण राजस्व लोक अदालत में अपने हिस्से की भूमि का बंटवाडा करवाने हेतु अपने पिता प्रतिवादी संख्या 01 से निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने वादीनीगण का वादग्रस्त भूमि में हक हिस्सा होने से स्पष्ट मना कर दिया तो वादीनीगण ने राजस्व रेकर्ड प्राप्त किया तो सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई, जिस पर वादीनीगण को यह वाद पेश करने की आवश्यकता पड़ी। हिन्दू विधि अनुसार सहदायिक पुत्री न केवल अपने अधिकारों की घोषणा करा सकती है अपितु पैतृक सम्पति जो उसके पिता के हाथ में है उसे विभाजन के जरिये पृथक भी करा सकता है हिन्दू उतराधिकार विधि की धारा 6 में प्रावधान है तथा इस संबंध में राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा एक परिपत्र क्रमांक प.5 (1) राजस्व–6/97/18 दिनांक 08.01.2007 जारी कर स्पष्ट आदेश पारित किया है कि " विभागीय परिपत्र दिनांक 08.09.1997 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि पुत्र को अपने पिता की पैतृक भूमि पर जन्म से ही अधिकार है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम में पिता की पैतक सम्पति में पुत्र/पुत्री दोनों ही जन्म से ही अधिकार होता है। इसलिये पुत्र/पुत्री दोंनों ही अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करा सकते है। पैतृक कृषि भूमि में पिता के साथ–साथ पुत्र/पुत्री भी सह कृषक है चाहे राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन नहीं भी हो, इसलिये पुत्र/पुत्री अपने पिता

सहायक कलक्टर
मेड़ता

(3)
सहायक कलक्टर
(SDO) मेड़ता

में पिता के जीवनकाल में ही सहकृषक होने के नाते राज.काश्त.अधि. की धारा 53 के अनुसार भाजन करा सकते है।'' इसी प्रकार इसी परिपत्र में आगे अंकित किया है कि ''यदि पैतृक भूमि विभाजन के संबंध में पिता या अन्य पुत्र/पुत्री सहमत नहीं हो तो ऐसी अवस्था में राज. काश्त.अधि. धारा 88 के तहत सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद पेश कर जोत का विभाजन करवाया जा सकता है।'' विवादित भूमि पैतृक भूमि होने से एवं हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुरूप वादीनीगण विवादित भूमि में पैतृक हिस्से की घोषणा करवाने की अधिकारी है। जिस हेतु यह वाद वास्ते घोषणा का वादीनी द्वारा श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना पड रहा है। वादग्रस्त आराजी की वर्तमान में कीमतों में वृद्धि हो जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 पर अनुचित दबाव बनाकर सम्पूर्ण भूमि का हस्तांतरण अपने नाम करवाने पर आमादा है तथा अब वादीनीगण को वादग्रस्त पैतृक व सहदायिकी भूमि से महरूम करना चाहते है तथा प्रतिवादी संख्या 01, 02, 12 व 13 वादीनीगण के हिस्से व कब्जा काश्त की भूमि में हस्तक्षेप व दंखलअन्दाजी करते रहते है तथा आगे से आगे भूमि का बेचान कर राजस्व रेकर्ड में जटिलता पैदा करने पर प्रयासरत है, जिस कारण वादीनीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वादीनीगण के हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप, दंखलअन्दाजी व बाधा कारित नहीं करें तथा न ही भूमि का बेचान, हस्तातरण आदि करें। जिस हेतु स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु भी उक्त वाद श्रीमान के समक्ष पेश है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि वादीनीगण का वाद स्वीकार किया जाकर निम्न अनुसार डिक्री बहक वादीनीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर प्रदान करावें :-

(क) वादग्रस्त हिन्दू पैतृक सम्पति की वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने विधिक हक हिस्से से अधिक प्रतिवादी संख्या 02, 12 व 13 के पक्ष में खसरा नम्बर 85 में से किये गये बेचान, दान पत्र को वादीनीगण के हक हिस्से तक निष्प्रभावी व शून्य घोषित करते हुए वादीनीगण को खसरा नम्बर 85 रकबा 146.04 बीघा, खसरा नम्बर 42 रकबा 45 बीघा मौजा मदावा पटवार क्षेत्र पनोरिया तहसील सेडवा जिला बाड़मेर में 1/8-1/8 हिस्से की सहखातेदार घोषित की जावें ।

(ख) प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जो प्रतिवादी संख्या 02, 12 व 13 के पक्ष में बेचान कर राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण से खातेदारी रेकर्ड में अंकन कराया है, उस अंकन की वे प्रविष्टियों जो वादीनीगण के हितों के प्रतिकूल है, उसे खातेदारी रेकर्ड से हटाई जावें।

(ग) प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जायें कि वे वादीनी के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप न करें तथा न ही जबरन बेदखल करने का प्रयास करें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के नोटिस रजिस्टर्ड तामिलशुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या 01, 02, 12, 13 की ओर से अधिवक्ता श्री पवन धारीवाल ने वकालतनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 05 के कायम मुकाम की ओर से अधिवक्ता शाकर खान समेजा ने वकालतनामा व पूर्व में प्रतिवादी संख्या 05 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनलाल खिलेरी ने वकालतनामा मय काउन्टर क्लैम पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक कलेक्टर सेड़वा

सहायक कलेक्टर
(SDO) सेड़वा

(4)

गण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त होने के बावजूद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उनके तरफा कार्रवाई अमल में लाई गई।

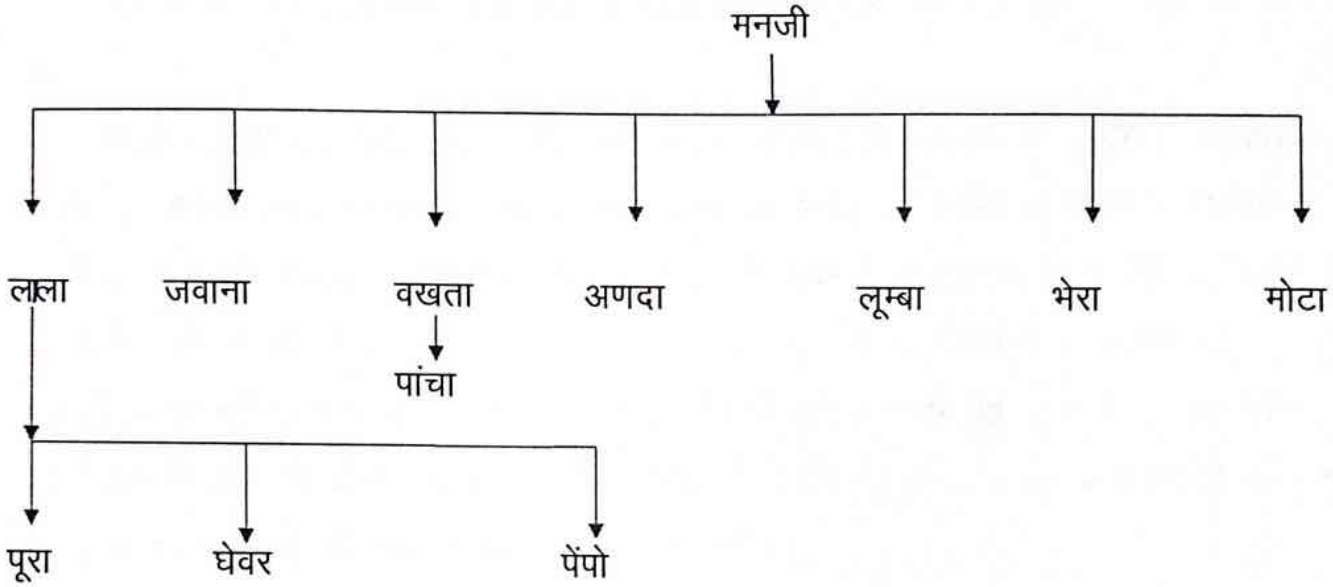

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का प्रतिवादी संख्या 05 की ओर से जवाब मय काउंटर क्लैम पेश कर निवेदन किया कि ''वादीनीगण ने सम्पूर्ण परिवार का सजरा प्रस्तुत न कर मात्र राजूराम के परिवार का सजरा प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 05 के मुतवफी मनजी पुत्र मोती का 1/2 हिस्सा व 1/2 हिस्सा राजूराम का खातेदारी में दर्ज था। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट राजूराम व मनजी के नाम से खातेदारी में दर्ज हुई। मनजी के फौत होने पर उनका पारिवारिक वंशवृक्षावली निम्नानुसार है–

इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 05 का मनजी के 1/2 हिस्सा में 1/7 हिस्सा अर्थात् सम्पूर्ण रकबे में से 1/14 हिस्सा भूमि खातेदारी में बनी है जिसे प्रतिवादी संख्या 05 अपनी खातेदारी में होने की घोषणा करवाने का अधिकारी होने से यह काउन्टर क्लैम प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 05 की पुश्तैनी कब्जासुदा भूमि में से सड़क तक आने जाने में शेष प्रतिवादीगण रास्ते में अवरोध पैदा कर रहे है तथा प्रतिवादी संख्या 05 का सड़क तक आने–जाने का रास्ता बंद कर दिया है जबकि उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि में ऐसा करने का वादीगण एवं प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 05 वादीगण एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय का काउन्टर स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण प्रतिवादी संख्या 05 की संयुक्त खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी पैदा न करें तथा न ही प्रतिवादी संख्या 05 का सड़क तक आने–जाने का

(5)

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

करें, जिस हेतु काउन्टर क्लैम प्रस्तुत है। वे इस वाद के माध्यम से प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता पाने के अधिकारी नहीं है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 05 के द्ध किसी तरह की सहायता नहीं चाही गई है। अतः काउन्टर क्लैम स्वीकार किया जावें– वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 85 रकबा 145–04 बीघा, खसरा संख्या 42 रकबा 45 बीघा मौजा मदावा तहसील सेड़वा में प्रतिवादी संख्या 05 का सम्पूर्ण आराजी में 1/14 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जावें। वादीगण व प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाए कि वे वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप न करें व न ही सड़क मार्ग तक आने जाने में बाधा कारित करें।''

प्रकरण में उभयपक्षकारान् द्वारा पेश अभिवचनों के आधार पर निम्नानुसार विवाद्यक विरचित किए गए–

तनकी संख्या 01–आया वादी की ग्राम मदावा पटवार क्षेत्र पनोरिया भू.अभि.क्षे. पनोरिया तहसील सेड़वा के. खसरा नम्बर 85 रकबा 146.04 बीघा व खसरा संख्या 42 रकबा 45 बीघा में वादीनीगण के दादा राजूराम का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 से 11 के मुतवफी मनजी का 1/2 हिस्सा खातेदारी का था कि वादीनीगण अपने दादा राजूराम के 1/2 हिस्से की भूमि में से प्रतिवादी गुमनाराम द्वारा अपने विधिक हक हिस्से से अधिक प्रतिवादी सं. 02, 12, 13 के पक्ष में खसरा नम्बर 85 में से किये गये बैचान, दान पत्र को निष्प्रभावी व शून्य घोषित करते हुए वादीनीगण को अपने पैतृक 1/4–1/4 हिस्से यानि सम्पूर्ण रकबे में 1/8–1/8 हिस्से की घोषणा करवाने की अधिकारी है?

(जिम्मे वादीनीगण)

तनकी संख्या 02– आया वादीनीगण कि वादग्रस्त भूमि में से प्रतिवादी गुमनाराम द्वारा प्रतिवादी सं. 02, 12, 13 के पक्ष में बैचान, दान कर राजस्व रेकर्ड में नामान्तरण से खातेदारी रेकर्ड में अंकन करवाया है, उस अंकन की वे प्रविष्टियां जो वादीनीगण के हितों के प्रतिकूल है, उसे खातेदारी रेकर्ड से हटायी जावें?

(जिम्मे वादीनीगण)

तनकी संख्या 03– आया वादीनीगण वादग्रस्त भूमि में अपने दादा राजुराम के 1/2 हिस्से में से अपने पैतृक 1/4–1/4 हिस्से यानि सम्पूर्ण रकबे में 1/8–1/8 हिस्से की घोषणा करवाने के बाद प्रतिवादीगण वादीनीगण के विरूद्ध कब्जे काश्त में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप व बाधा उत्पन्न नही करें व न किसी से करवाये इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं?

(जिम्मे वादीनीगण)

सहायक कलक्टर सेड़वा

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

संख्या 04–आया प्रतिवादी सं. 05 कि वादग्रस्त आराजी में मुझ प्रतिवादी का 1/14 हिस्सा में घोषित किया जावें?

(जिम्मे प्रतिवादी संख्या 05)

तनकी संख्या 05– आया प्रतिवादी कि वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी सं. 05 के हिस्से, कब्जा काश्त में हस्तपेक्ष नहीं करे व न ही सड़क मार्ग तक आने–जाने में बाधा कारित करें?

(जिम्मे प्रतिवादी संख्या 05)

वादीनीगण वकील ने वादपत्र को साबित करने के लिए वादी साक्ष्यों में PW-1 में चुनीदेवी पत्नी गुमनाराम जाति मेघवाल निवासी मदावा हाल निवासी वाडाभाड़वी तहसील बागौड़ा जिला जालोर, PW-2 में बली पुत्री गुमनाराम जाति मेघवाल निवासी मदावा हाल निवासी राणासर खुर्द तहसील गुड़ामालानी जिला बालोतरा, PW-3 मुलाराम पुत्र श्री सोनाराम जाति नाई निवासी मदावा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के साक्ष्य शपथ पत्र तथा लिखित दस्तावेजी साक्ष्यों में ई.एक्स.पी.01(प्रदर्श 01) खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2013–2031 मौजा मदावा पटवार क्षेत्र पनोरिया तहसील सेडवा जिला बाड़मेर खसरा नम्बर 85 रकबा 146.04 बीघा, खसरा नम्बर 42 रकबा 45 बीघा, ई.एक्स.पी.02(प्रदर्श 02) भामाशाह एनरोलमेंट संख्या (9981–SQ47-19759) बली देवी पुत्री गुमनाराम, ई.एक्स.पी.03(प्रदर्श 03) भामाशाह एनरोलमेंट संख्या (9999–FK0Y-00101) चुनी देवी पुत्री गुमनाराम, ई.एक्स.पी.04(प्रदर्श 04) जमाबंदी(प्रतिलिपि) मौजा मदावा तहसील सेड़वा पटवार हल्का पनोरिया भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया संवत् 2073–2076 खाता संख्या नया 10 के खसरा संख्या 85 रकबा 146–04 बीघा किस्म बारानी सोयम, ई.एक्स.पी.05(प्रदर्श 05) जमाबंदी(प्रतिलिपि) मौजा मदावा तहसील सेड़वा पटवार हल्का पनोरिया भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया संवत् 2073–2076 खाता संख्या नया 37 के खसरा संख्या 42 रकबा 45–00 बीघा किस्म बारानी सोयम, ई.एक्स.पी.06(प्रदर्श 06) नामांतरकरण संख्या 546 मौजा मदावा पटवार क्षेत्र पनोरिया तहसील सेडवा जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 85 रकबा 146–04 बीघा, ई.एक्स.पी.07(प्रदर्श 07) नामांतरकरण संख्या 456 मौजा मदावा पटवार क्षेत्र पनोरिया तहसील सेडवा जिला बाड़मेर खसरा संख्या 42 रकबा 45 बीघा व खसरा संख्या 85 रकबा 146–04 बीघा, ई.एक्स.पी.08(प्रदर्श 08) नामांतरकरण संख्या 469 मौजा मदावा पटवार क्षेत्र पनोरिया तहसील सेडवा जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 85 रकबा 146–04 बीघा, ई.एक्स.पी.09(प्रदर्श 09) आधार कार्ड संख्या 465007214792 बलीदेवी पत्नी खुमाराम निवासी राणासर खुर्द, ई.एक्स.पी.10(प्रदर्श 10) भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र संख्या आईजेए/0697995 बलीदेवी पत्नी खुमाराम, निवासी मेगवालों की ढाणी, अणदाणियों की बेरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर,, ई.एक्स.पी.11(प्रदर्श 11) आधार कार्ड संख्या

सहायक कलक्टर सेड़वा

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

49 चुनी देवी पत्नी पप्पूराम निवासी वाडाभाडवी सेवड़ी जिला जालोर, ई.एक्स.पी.12(प्रदर्श 12) चुनाव आयोग पहचान पत्र संख्या एनएई/0675090 चुनी देवी पत्नी पप्पूराम निवासी वीरार नाडी, भाडवी तहसील बागौड़ा जिला जालोर, की प्रतिलिपियां वादी द्वारा न्यायालय में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित (Exhibit) करवाए।

वादीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 05 के अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस की। वादीगण अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से चिन्तन–मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड, तथ्यों, बयानात् तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त व गम्भीरतापूर्वक विचारण तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया गया।

अतः प्रकरण का तनकीवार विवेचन इस प्रकार है–

तनकी संख्या 01–आया वादी की ग्राम मदावा पटवार क्षेत्र पनोरिया भू.अभि.क्षे. पनोरिया तहसील सेड़वा के. खसरा नम्बर 85 रकबा 146.04 बीघा व खसरा संख्या 42 रकबा 45 बीघा में वादीनीगण के दादा राजूराम का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 से 11 के मुतवफी मनजी का 1/2 हिस्सा खातेदारी का था कि वादीनीगण अपने दादा राजूराम के 1/2 हिस्से की भूमि में से प्रतिवादी गुमनाराम द्वारा अपने विधिक हक हिस्से से अधिक प्रतिवादी सं. 02, 12, 13 के पक्ष में खसरा नम्बर 85 में से किये गये बैचान, दान पत्र को निष्प्रभावी व शून्य घोषित करते हुए वादीनीगण को अपने पैतृक 1/4–1/4 हिस्से यानि सम्पूर्ण रकबे में 1/8–1/8 हिस्से की घोषणा करवाने की अधिकारी है?

(जिम्मे वादीनीगण)

तनकी संख्या 02– आया वादीनीगण कि वादग्रस्त भूमि में से प्रतिवादी गुमनाराम द्वारा प्रतिवादी सं. 02, 12, 13 के पक्ष में बैचान, दान कर राजस्व रेकर्ड में नामान्तरण से खातेदारी रेकर्ड में अंकन करवाया है, उसमें अंकन की वे प्रविष्टियां जो वादीनीगण के हितों के प्रतिकूल है, उसे खातेदारी रेकर्ड से हटायी जावें?

(जिम्मे वादीनीगण)

तनकी संख्या 03– आया वादीनीगण वादग्रस्त भूमि में अपने दादा राजुराम के 1/2 हिस्से में से अपने पैतृक 1/4–1/4 हिस्से यानि सम्पूर्ण रकबे में 1/8–1/8 हिस्से की घोषणा करवाने के बाद प्रतिवादीगण वादीनीगण के विरूद्ध कब्जे काश्त में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप व बाधा उत्पन्न नही करें व न किसी से करवाये इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं?

सहायक कलेक्टर
(SDO) सेड़वा

की संख्या 01 से 03 परस्पर आश्रित एवं सुसंगत होने के कारण इनका एकसाथ विनिश्चिय किया रहा है। वादीगण अधिवक्ता ने वादपत्र को साबित करवाने के लिए प्रदर्श 01 से 03 दस्तावेजात् प्रदर्शित करवाए। वादीगण वकील द्वारा प्रदर्शित दस्तावेजों में खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2013 से 2031 के अवलोकन व संलग्न अन्य दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा दस्तावेज पंजीयन व दानपत्र कर वादीनीगण के हक हकूकों पर भारी कुठाराघात किया गया है। जबकि गुमनाराम को अपने हक हिस्से तक ही बेचान व दानपत्र करने का अधिकार था। जबकि गुमनाराम द्वारा अपनी समस्त भूमि का बेचान व दानपत्र अशोककुमार पुत्र उम्मेदाराम व हरदानराम पुत्र गुमनाराम के पक्ष में कर दिया, जो वादीनीगण के हक हिस्से से शून्य व प्रभावहीन की श्रेणी में आता है।

तनकी संख्या 04–आया प्रतिवादी सं. 05 कि वादग्रस्त आराजी में मुझ प्रतिवादी का 1/14 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जावें?

(जिम्मे प्रतिवादी)

तनकी संख्या 05– आया प्रतिवादी कि वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी सं. 05 के हिस्से, कब्जा काश्त में हस्तपेक्ष नहीं करे व न ही सड़क मार्ग तक आने–जाने में बाधा कारित करें?

(जिम्मे प्रतिवादी)

तनकी संख्या 04 व 05 परस्पर आश्रित एवं सुसंगत होने के कारण इनका एकसाथ विनिश्चिय किया जा रहा है। उक्त तनकीयात को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 05 से है। प्रतिवादी संख्या 05 जरिए अधिवक्ता जवाबदावा मय काउन्टर क्लैम पेश कर वादग्रस्त आराजी में 1/14 हिस्सा खातेदारी में घोषित करवाने की इस्तदुआ चाही गई है। जवाबदावे व काउंटर क्लैम में अंकित अभिकथनों को साबित करने के लिए प्रतिवादी संख्या 05 की ओर से किसी भी गवाह की साक्ष्य लेखबद्ध नहीं करवाए तथा न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित करवाए। जिसके अभाव में प्रतिवादी संख्या 05 की ओर से प्रस्तुत काउंटर क्लैम प्रमाणित नहीं हो पाया है तथा उक्त तनकी संख्या 04 व 04 प्रतिवादी संख्या 05 अपने हक में साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 05 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वादीगण वादपत्र में कायम तनकी संख्या 01 से 03 साबित करने में बखूबी सफल रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 05 अपने पक्ष में कायम तनकीयात को साबित करने में सफल नहीं हो पाया है। अतः वादीगण के वादपत्र तथा पत्रावली पर

सहायक कलक्टर मेड़ता

सहायक कलक्टर (9)
(SDO) मेड़ता

वजों के परिप्रेक्ष्य में उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीनीगण स्वीकार किया जाना एवं उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीनीगण अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 व 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भलीभांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादीनीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा मदावा, पटवार क्षेत्र पनोरिया, भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया के जमाबंदी संवत् 2073–76 के खाता संख्या नया 10 के खसरा संख्या 85 रकबा 146–04 बीघा किस्म बारानी सोयम में गुमना वल्द राजु द्वारा अपने 1/8 हिस्से से अधिक भूमि का अशोक कुमार पुत्र उम्मेदाराम को किया गया बेचान विधिसंगत नहीं होने से गुमना वल्द राजु द्वारा अपने 1/8 हिस्से से अधिक बेचान किए गए रकबे में वादीनी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा व वादीनी संख्या 02 का 1/3 हिस्सा, गुमना वल्द राजु द्वारा हरदानराम पुत्र गुमनाराम को किया गया दानपत्र विधिसंगत नहीं होने से दान किए गए कुल रकबे में वादीनी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा व वादीनी संख्या 02 का 1/3 हिस्सा अर्थात् खसरा संख्या 85 रकबा 146–04 बीघा किस्म बारानी सोयम में वादीनी संख्या 01 का 1/8 हिस्सा व वादीनी संख्या 02 का 1/8 हिस्सा सहखातेदार के साथ तथा मौजा मदावा, पटवार क्षेत्र पनोरिया, भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया के जमाबंदी संवत् 2073–76 के खाता संख्या नया 37 के खसरा संख्या 42 रकबा 45–00 बीघा किस्म बारानी सोयम में गुमनाराम पुत्र राजु के 1/2 हिस्से में से 1/4 हिस्सा वादीनी संख्या 01 का तथा 1/4 हिस्सा वादीनी संख्या 02 का अर्थात् खसरा संख्या 42 रकबा 45–00 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि के कुल रकबे में 1/8 हिस्सा वादीनी संख्या 01 का तथा 1/8 हिस्सा वादीनी संख्या 02 का सहखातेदार के साथ खातेदारी में घोषित किया जाता है।

तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित करें। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 08/05/2026 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर सेड़वा

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

10